न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

[illegible] सं. 119/2018
[illegible].सी.एस.एम. नं. 2019/00205
[illegible]स्म – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
[illegible]र्णय दिनांक 17.02.2021

1.रामभजन पि. भोवला जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई
2.हरमान पि. भोवला जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई
3. हरलाल पि. भोवला जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई
4. सुन्दर पि. भोवला जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई
5. मोहनलाल पि. भोवला जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई
6. पवन सुन्दरसिंह जाट निवासी बैलारा नाबलिग जरिये
7.पिन्टू सुन्दरसिंह जाट निवासी बैलारा नाबलिग जरिये

प्रार्थी/सायल

बनाम

1. दूल्हेराम पि. बैनीराम जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई
2. सहाबसिंह पि. बैनीराम जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई
3. शिवसिंह पि. बैनीराम जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई
4. विजयसिंह पि. बैनीराम जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई
5. राज.सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
6. श्रीमान सब रजिस्टार महोदय नदबई

अप्रार्थी/गैरसायलान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह है कि उपरोक्त उनवीन वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें सफलता की पूर्ण उम्मीद है।
2. यह कि हाल आराजी खाता सं. 296 के आराजी खसरा नम्बर 230 रकवा 0.17 231 रकवा 0.20 किता 2 रकवा 0.37 व आराजी खाता सं. 239 के आराजी खसरा नम्बर 222 रकवा 0.19, 311 रकवा 0.08, 312 रकवा 0.08 , 313 रकवा 0.21, 314 रकवा 0.20, 315 रकवा 0.21, 316रकवा 0.18, किता 11 रकवा 1.81 हैक्ट. व खाता सं. 231 के खसरा नम्बर 73 रकवा 0.19, 74 रकवा 0.22, 75 रकवा 0.31, 137 रकवा 0.19, [illegible] रकवा 0.20, 203 रकवा 0.15, 205 रकवा 0.15, 206 रकवा 0.14, 208 रकवा 0.13, 234 रकवा 0.[illegible] 235 रकवा 0.05, 236 रकवा 0.05, 237 रकवा 0.05, 549 रकवा 0.11, 550 रकवा 0.13, [illegible] रकवा 0.06, 654रकवा 0.01, 655रकवा 0.04, 657 रकवा 0.02, 662 रकवा 0.05, 665 रकवा 0.04, 668 रकवा 0.16, 669 रकवा 0.17, 677 रकवा 0.06, 678 रकवा 0.05, 686 रकवा 0.13, 689 रकवा 0.19 किता 28 रकवा 3.15 हैक्ट. व खाता सं. 240 के आराजी खसरा नम्बर 228 रकवा 0.20, 229रकवा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:12:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

02 किता 2 रकवा 0.4 व खाता सं. 256के आराजी खसरा नम्बर 352 रकवा 0.22, 353 रकवा 0.22, किता 2 रकवा 0.44, वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई स्थित है। नकल जमाबंदी सं. 2069 से 2072 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की वर्णित मद सं. 2 की आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदरी काश्तकारी का आराजीयात हैं जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त की संयुक्त खातेदारी काश्तकार की आराजीयात है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर मनवट से काश्त करते हुए चले आ रहे है। तथा मौके पर मुताबिक मनबट काबिज काश्त है। लेकिन अब प्रार्थीगण अप्रार्थीगण आपस में डौरमेड लगान आदि पर आपस में तनाजार बना हरता है। इसलिए अब सम्मिलित रूप से काश्त करना संभव नही रहा है। इसलिए प्रार्थीगण उपरोक्त आराजीयात का विभाजन अच्छी में से अच्छी बुरी में बुरी आराजी के कुरेजात कायम कर अलग अलग खाता लगान कायम करापाने के मुश्त हक है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करा पाने के अधिकारी है।

4. यह कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 20.07.2018 को व मुकाम बैलारा तहसील नदबई पर यह एलानियां धमकी दी है। कि वह प्रार्थी के कब्जे काश्त की डौरमैड को रहनवय मुन्तकिल कर दंगें व अच्छी अच्छी आराजी पर गडढा खोद कर डीप बोर लगायंगे व उक्त आराजीयात की डौरमैड को तोडकर बराबर करेंगे जबकि अप्रार्थीगण को इस प्रकार की धमकी दने का कोई भी हक हासिल नही है जो अगर प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकद से नही हो सकेगी अतः प्रार्थी गण अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न करे व किसी प्रकार की गडढा खोदकर डीपबोर न करे रहनवय मुन्तकिल न करे रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें

5. यह कि प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता फैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी में मदाखलत मजाहमत न करे रहनवय मुन्तकिल न करे तथा रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे तथा ऐसा कोई कार्य न करे जिससे वादीगण प्रार्थीगण के अधिकारों पर जबाल आवे। शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत श्री रामकिशन पूनिया एड़वोकेट द्वारा प्रस्तुत। प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थीगण स. 1 की आर से श्री जगवीरसिंह व लाखन भातरा एडवोकेट उपस्थित हुऐ। तथा अप्रार्थी सं. 3 के खिलाफ तामील बाबजूद अनुपस्थित इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण स. 1 व 2 की और से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें निम्नांकित तथ्यों का वर्णन किया गया। जो इस प्रकार है

1. यह कि मद सं. 1 आंशिक स्वीकार हे। जिसमें वादपत्र का न्यायालय श्रीमान में पेश होना तो स्वीकार है। लेकिन कायमयाबी की कोई उम्मीद नहीं है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में विवादित आराजी ... ग्राम बैलारा तहसील नदबई में स्थित होना स्वीकार है।
3. यह कि मद सं. 3 प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार है जिसमें ... एवं अप्रार्थीगण को संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात हैं जिस पर प्रार्थी गण एवं अप्रार्थीगण मनबट अनुसार काबिज होकर काश्त करना स्वीकार है। लेकिन प्रार्थी ... अप्रार्थीगण के मध्य विवादित आराजी के बाबत् कोई किसी प्रकार कातनाजा नही है। सभी तयिों को प्रार्थीगण द्वारा महज

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:42:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

प्रार्थना पत्र व दावा को रंगत देने की गरज से अंकित किया है। यदि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मध्य उनके मनवट अनुसार व कब्जे के अनुसार बँटवारा किया जाता हैं तो इस में हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। तथा हम अप्रार्थीगण की पूर्ण सहमति हैं

4. यह कि मद सं. 4 प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को दिनांक 20.07.2018 या अन्य किसी तिथि को कही पर किसी प्रकार की कोई धमकी नही दी है। विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण जब मनबट अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तो किसी प्रकार की झगड़ा आदि होने व धमकी देने का कोई सवाल ही पैदा नही होता हैं सभी तथ्यों को प्रार्थीगण द्वारा महज दावा व प्रार्थना पत्र को रंगत देने की गरज से झूठे एवं बेबुनियादी तथ्यों के आधार पर अंकित किया हैं जिसके कारणसे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल के हैं।

5. यह कि मद सं. 5 प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं है। प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में न होकर अप्रार्थीगण के हक में है।
प्रार्थना पत्र स्वीकार नही है। प्रार्थनार पत्र काबिल खारिजी के है।

6. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मनवट अनुसार काफी लम्बे समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे तथा अब प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई तनाजा नही है। यदि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी का मनवट अनुसार बँटवारा किया जाता है। तो इसमें हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।
अतः जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। शपथ पत्र पेश है।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2069 से 2072 वाके बैलारा , तहसील नदबई पेश कि गई।

गैरसायल/अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब के समर्थना में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही कि गई।

उभय पक्षकरान के विद्वान वकीलो की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। तथा उभयपक्षकरान के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जारी शुदा स्थगन ओदश को कन्फंम कर उभयपक्षकरान को ता फैसला दावा तक विवादित आराजी पर पाबन्द किये जाने हेतु अपनी सहमति पत्रावली पर दी गई।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलो की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि:–

1.<u>प्राईमाफेसी केस</u>– प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा दावा [illegible] धारा 53, 188 आर.टी.ए. के तहत् पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.[illegible] का पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजीयात [illegible] बैलारा तहसील नदबई पर स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी का आराजीयात हैं जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त की संयुक्त खातेदार काश्तकार की आराजीयात है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर मनवट से काश्त करते हुए चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:42:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

तथा मौके पर मुताबिक मनबट काबिज काश्त है। तथा आराजी का अब तक बॅटवारा विधिक रूप से नही हुआ है मनवट से अपने अपने हिस्सा पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसलिये जब तक कानूनी रूप से बंटवारा नही हो तब तक प्रत्येक खातेदार का हर इन्च पर अपना अधिकारा माना जाता हैं । इसप्रकार विवादित आराजीयात की मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाऐ रखना एवं वाद की बहुल्यता को रोकना आवश्याक है। इसप्रकार प्रथमदृष्टया प्रइमाफेसी व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।

2. सुविधा का सतुलन –सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।
3. अपूर्ण क्षति – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थिगण को पाबन्द किया जाता है विवादित आराजीयात का खुर्द बुर्द होने का अन्देशा रहेगा जो अजीम क्षति भी प्रार्थीगण को होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र की मंद स. 2 वर्णित हाल आराजी खाता सं. 296 के आराजी खसरा नम्बर 230 रकवा 0.17 231 रकवा 0.20 किता 2 रकवा 0.37 व आराजी खाता सं. 239 के आराजी खसरा नम्बर 222 रकवा 0.19, 311 रकवा 0.08, 312 रकवा 0.08 , 313 रकवा 0.21, 314 रकवा 0.20, 315 रकवा 0.21, 316रकवा 0.18, किता 11 रकवा 1.81 हैक्ट. व खाता सं. 231 के खसरा नम्बर 73 रकवा 0.19, 74 रकवा 0.22, 75 रकवा 0.31, 137 रकवा 0.19, 138 रकवा 0.20, 203 रकवा 0.15, 205 रकवा 0.15, 206 रकवा 0.14, 208 रकवा 0.13, 234 रकवा 0.04, 235 रकवा 0.05, 236 रकवा 0.05, 237 रकवा 0.05, 549 रकवा 0.11, 550 रकवा 0.13, 551 रकवा 0.06, 654रकवा 0.01, 655रकवा 0.04, 657 रकवा 0.02, 662 रकवा 0.05, 665 रकवा 0.04, 668 रकवा 0.18, 669 रकवा 0.17, 677 रकवा 0.06, 678 रकवा 0.05, 686 रकवा 0.13, 689 रकवा 0.19 , किता 28 रकवा 3.15 हैक्ट. व खाता सं. 240 के आराजी खसरा नम्बर 228 रकवा 0. 20, 229रकवा 0.02 किता 2 रकवा 0.4 व खाता सं. 256के आराजी खसरा नम्बर 352 रकवा 0.22, 353 रकवा 0.22, किता 2 रकवा 0.44, वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई स्थित है पर जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 10.08.2018 को मा फैसला दावा तक विवादित आराजीयात की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षकारान को पाबन्द किया किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar (हेमराज गुर्जर R.A.S.)
Date: 2021.03.08 16:12:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, नदबई

17/04/21
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर